	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 19, बुधवार, शाके 1943-नवम्बर 10, 2021 *Kartika 19, Wednesday , Saka 1943- November 10, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 11, 2021

एस.ओ.616 :-जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 64 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 54 की उप धारा (2) के खंड (कक) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की सेवा की अर्हताएं तथा अन्य निबन्धन और शर्तें) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) "अधिनियम" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केंद्रीय अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ड.) "सदस्य-सचिव" से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

3. अध्यक्ष का चयन.- (1) बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा जांच एवं चयन समिति की सिफारिश पर नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। जांच एवं चयन समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात् :-

(i) मुख्य सचिव	अध्यक्ष;
(ii) प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य;
(iii) प्रमुख शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य;
(iv) मुख्य सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला कोई एक विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य;
(v) प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग	सदस्य-सचिव।

(2) जांच एवं चयन समिति, कार्मिक विभाग को चयनित अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश, नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश जारी करने के लिए करेगी।

(3) यदि किसी सरकारी अधिकारी को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है तो उसे प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा।

4. अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं.- कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए तब पात्र होगा जब,-

(क) वह किसी मान्यताप्राप्त वि श्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण से संबंधित विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या पर्यावरण से संबंधित किसी शाखा में अभियांत्रिकी की डिग्री रखता हो और औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण, जल उपचार या वायु प्रदूषण नियन्त्रण यंत्रों सहित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष ज्ञान और 15 वर्ष का अनुभव रखता हो तथा उसने सरकार के अधीन 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा की हो; या

(ख) वह केंद्रीय या किसी राज्य सरकार की सेवा के अधीन प्रमुख शासन सचिव और उससे ऊपर की रैंक और वेतन में अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या रहा हो तथा उसके पास पर्यावरण से संबंधित मामलों का कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रशासन का अनुभव हो।

5. सदस्य-सचिव का चयन.- (1) बोर्ड का सदस्य-सचिव, राज्य सरकार द्वारा जांच एवं चयन समिति की सिफारिश पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा। जांच एवं चयन समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात् :-

(i) मुख्य सचिव	अध्यक्ष;
(ii) प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य;
(iii) प्रमुख शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य;
(iV) मुख्य सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला कोई एक वि शेषज्ञ सदस्य	सदस्य;
(V) प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग	सदस्य-सचिव।

(2) जांच एवं चयन समिति, कार्मिक विभाग को चयनित अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश, नियुक्ति के आदेश या पदस्थापन के आदेश जारी करने के लिए करेगी।

6. सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं.- कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के अधीन बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब पात्र होगा, जब,-

(क) वह केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो और केंद्रीय सरकार के मूल संवर्ग या विभाग में वेतनमान लेवल 13क या उससे उच्चतर लेवल में, या राज्य सरकार में उसके समतुल्य, पद नियमित आधार पर धारित करता हो; और

(ख) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त वि श्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या अभियांत्रिकी में कोई डिग्री या उसके समतुल्य हो साथ ही पर्यावरण से संबंधित ज्ञान और अनुभव रखता हो।

7. आयु.- अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए और सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए आयु सीमा, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख को, क्रमश: साठ वर्ष की आयु और छप्पन वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

8. सेवा की अवधि.- अध्यक्ष और सदस्य-सचिव का सेवाकाल तीन वर्ष की कालावधि का होगा।

9. अध्यक्ष और सदस्य-सचिव का वेतन.- अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित मासिक वेतन और भत्तें संदत्त किये जायेंगे।

10. शि थिल करने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां आदेश द्वारा, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शि थिल कर सकेगी।

[सं. एफ.12(5)पर्या/2015/पार्ट-।।।]
राज्यपाल के नाम और आदेश से,
श्रेया गुहा,
प्रमुख शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.